राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर (रसद), झालावाड़

क्रमांक/रसद/एफपीएस/2018/ 1571 दिनांक : 17.04.2018

—::विज्ञप्ति::—

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत जिले में उचित मूल्य की रिक्त एवं नवसृजित दुकानों के लिये इच्छुक एवं पात्र व्यक्तियों से राजस्थान खाद्यान एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3(1) के तहत प्राधिकार पत्र जारी किये जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया है । विभागीय पूर्व विज्ञप्ति दिनांक 03.03.2015, 4.8.17, 4.01.2018 में जारी रिक्त/नवसृजित दुकानों की चयन प्रक्रिया उपरान्त एवं विभागीय परिपत्र दिनांक 4.07.17, 5.7.17 एवं 28.07.17 के अनुसार पुनः समीक्षा के पश्चात् निस्तारण से शेष स्थानों पर तथा विभागीय पत्रांक 28.07.17 से दिये गये निर्देशानुसार सम्पूर्ण जिले में विभिन्न कारणों यथा (डीलर की मृत्यु, प्राधीकार पत्र निरस्त, त्याग-पत्र, लम्बी अवधी का चिकित्सा या अन्य अवकाश) की समीक्षा उपरान्त रिक्त घोषित की गई है । निम्न रिक्त दुकानों के नवीन आवंटन हेतु विज्ञप्ति जारी की जाकर निम्न रिक्त/नवसृजित उचित मूल्य दुकानों के लिये आवेदन आमंत्रित किये जाते है ।

क्र.स.	तहसील/नगर/न.परि./नगर निगम	रिक्त/निरस्त/निलम्बित दुकानदार का नाम	रिक्त/निरस्त/निलम्बित होने की दिनांक
1	तहसील खानपुर	खानपुर-3	23.07.12 से इस्तिफा
2		खानपुर-7	मृत्यु दि 17.11.15
3	तहसील झालरापाटन	डोण्डा-II	इस्तीफा 02.02.17
4		दुर्गपुरा-I	मृत्यु 17 मई 2017
5		बडबड नवीन	नवसृजित
6		रूण्डलाव -1	03.03.16 से इस्तीफा
7		गोविन्दपुरा-II	इस्तिफा 2012 से
8		कनवाड़ा-II	इस्तिफा 2013 से
9	न.परि.झालावाड़	झालावाड वार्ड नं0 10	विज्ञप्ति जारी
10		झालावाड वार्ड नं0 21	5 वर्ष से इस्तिफा
11		झालावाड वार्ड नं0 17	03.01.18 से निरस्त
12	न.पा.झालरापाटन	झा.पाटन वार्ड नं0 12	मृत्यु दि 19.09.16
13		झा.पाटन वार्ड नं0 5	इस्तीफा 24.02.2016
14		झा.पाटन वार्ड नं0 7	इस्तीफा 24.02.16
15		झा.पाटन वार्ड नं0 16	इस्तीफा 11.08.15
16		झा.पाटन वार्ड नं0 15	17.01.2018 से इस्तिफा
17		झा.पाटन वार्ड नं0 19	निरस्त दि 09.02.18
18	तहसील मनोहरथाना	चन्दीपुर II	मृत्यु 17.12.15
19		समरोल I पटॅटी	निरस्त 26.12.17
20	तहसील पिड़ावा	गोविन्दपुरा II	13.02.17 से निलंबन
21		बोलिया बुजुर्ग	07.08.15 से इस्तीफा
22		दीपलखेडा (रायपुर)	जुलाई 2017
23		सुनेल-I वार्ड नं0 2	इस्तिफा 11.12.17

24	न.पा.[illegible]	पेडावा–3 वार्ड 7–8	27.06.16 से मृत्यु
25	तहसील [illegible]	पिपलिया–I	इस्तिफा जनवरी 2016
26		खोखरिया खुर्द–I	इस्तिफा 08.07.17
27		घटोद–I	30.06.15 इस्तिफा
28		सरोद–I	मृत्यु 29.06.16
29		अलावा–II	दिसम्बर 2017 से
30		भिलवाड़ी–I	फरवरी 2017
31		गणेशपुरा–I	अगस्त 2015
32		गुराडियाकला–II	12.1.18 से इस्तिफा
33	न.पा.भ[illegible]	भवानीमंडी वार्ड नं0 14–15	28.07.15 से अवकाश
34		भवानीमंडी वार्ड नं0 17	10.05.16 से अवकाश
35		भवानीमंडी वार्ड नं0 25	जनवरी 2017 से अव0
36		भवानीमंडी वार्ड नं0 1	इस्तिफा
37		भवानीमंडी वार्ड नं0 16	इस्तीफा 28.07.15
38	तहसील [illegible]	रनायरा–II	मृत्यु फरवरी 2017
39	न.पा.अ[illegible]	अकलेरा–1(II)	इस्तिफा
40		अकलेरा वार्ड नं0 6	निरस्त अगस्त 2014
41	तहसील [illegible]कलेरा	पचौला –I	मृत्यु मार्च 2017
42		पचौला –II	मृत्यु 19.08.15 से
43		कोहडीझर II	मृत्यु 09.07.15 से
44		आसलपुर –I	मृत्यु 04.01.17 से
45		मिश्रोली –I	मृत्यु 22.05.15 से

इस हेतु विभागीय निर्देश दिनांक 17.03.2016 के अन्तर्गत जिला रसद अधिकारी कार्यालय से 100/–पोस्टल आर्डर जमा कर आवेदन पत्र दिनांक 20.04.2018 से 1[illegible].05.18 तक (सांय 06.00 बजे तक) प्राप्त किये जाकर दिनांक 21.05.2018 से 31.05.2018 तक (सायं 06.00 बजे तक) निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक दस्तावेजों के साथ जिला रसद अधिकारी कार्यालय, झालावाड़ में जमा करवाये जा सकेगें ।

उपरोक्त रिक्तियों के संबंध में विभागीय पत्र क्रमांक एफ.17(1)खा.वि./विधि/08 जयपुर दिनांक 17.03.2016 द्वारा जारी उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के दिशा–निर्देशों में वर्णित चयन प्रक्रियानुसार कार्यवाही की जानी है । दिनांक 17.03.2017 के दिशा निर्देश तथा रिक्त नवसृजित उचित मूल्य दुकानों के संबंध में विस्तृत जानकारी विभागीय वैबसाईट food.rajasthan.gov.in, जिला कलक्टर की वेबसाईट http://jhalawar.rajasthan.gov.in पर तथा जिला रसद अधिकारी कार्यालय झालावाड में अवलोकन हेतु उपलब्ध है । उक्त रिक्तियों की संख्या में कमी/बढोतरी/संशोधन विभाग/कार्यालय द्वारा किया जा सकता है तथा रिक्तियों को भरने/ना भरने के संबंध में विभाग/कार्यालय का निर्णय सुरक्षित रहेगा ।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर (रसद)
झालावाड़

आवेदक की योग्यता, आवंटन प्रक्रिया एवं शर्ते

आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में होगा, जिस पर आवेदनकर्त्ता का छाया चित्र लगा होगा तथा 2 छाया चित्र अलग से आवेदन के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र केवल संबंधित जिला रसद कार्यालय झालावाड से जारी किये जायेगें। अन्य किसी स्थान यथा टाईपिस्ट नोटेरी बुक स्टोर से प्राप्त किये गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं जायेंगे। एक आवेदन पत्र का मूल्य 100/- रूपये जमा निर्धारित है। जिला रसद कार्यालय से निर्धारित शुल्क का भारतीय पोस्टल आर्डर जमा करवाकर प्राप्त किये जा सकेंगे।

1. आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 18.05.2018 एवं जमा कराने की अंतिम तिथि 31.05.2018 को सांय 6:00 बजे तक रहेगी।
2. शहरी क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकान हेतु आवेदक के मामले में आवेदक उसी वार्ड का निवासी होना चाहिये जिस वार्ड के उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरण करनी है अर्थात् उस उचित मूल्य दुकान की अधिकारिता क्षेत्र में स्थित वार्डो में से किसी एक वार्ड का निवासी होना चाहिये। ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान के मामलों में आवेदक उसी पंचायत के किसी भी ग्राम या वार्ड का निवासी होना आवश्यक है, जिस पंचायत में उचित मूल्य दुकान स्थित है। (उचित मूल्य दुकान के क्षेत्र के निवासी होने के संबंध में प्रमाण-पत्र स्वरूप राशन कार्ड/वोटर लिस्ट/मूल निवास/निर्वाचन आयोग का परिचय पत्र/आधार कार्ड/भामाशाह कार्ड में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत किया जा सकेगा)
3. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को सभी श्रेणी के आवेदको की आयु 21 से 45 वर्ष होनी चाहिये अर्थात् उचित मूल्य दुकान के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि को आवेदक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये। (उम्र के प्रमाण हेतु दसवीं की अंक तालिका/प्रमाण-पत्र या अन्य अंक तालिका/प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि अंकित हो या पासपोर्ट/मतदाता पहचान पत्र/ड्राईविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/पेन कार्ड में से किसी एक की स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जा सकती है)
4. शैक्षणिक योग्यता सामान्य रूप से स्नातक उत्तीर्ण/उच्च माध्यमिक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, परन्तु प्रथम प्राथमिकता स्नातक उत्तीर्ण को ही दी जावेगी। स्नातक उत्तीर्ण फार्म न आने की दशा में उच्च माध्यमिक उत्तीर्ण पर विचार किया जावेगा। परिपत्र दिनांक 17.03.2016 के दिशा निर्देश एवं 18.04.20.. खाद्य विभाग के आदेश के अनुसार होगी एवं कम्प्यूटर में न्यूनतम जानकारी राजस्थान नॉलेज कापरेशन लिमिटेड (आर.के.सी.एल.) या अन्य समकक्ष संस्थान का तीन माह का आधारभूत प्रशिक्षण होना चाहिये। यदि आवेदक कम्प्यूटर में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हो तो आवेदन के साथ आवेदक यह शपथ-पत्र देगा कि चयनित होने के 06 माह की अवधि में प्रशिक्षण प्राप्त कर लेगा व ऐसे चयनित व्यक्तियों को प्रशिक्षण के बाद प्राधिकार पत्र दिया जावेगा। आवेदक समितिया/समूह निकाय होने पर संबंधित अध्यक्ष/सचिव/प्रबंधक को कम्प्यूटर दक्षता एवं शैक्षणिक योग्यताओं को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। इस बावत् प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. आवेदक को आवेदन पत्र में अंकित घोषणाओं के संबंध में 50/- रूपये नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी से सत्यापित शपथ पत्र देना होगा।
6. आवेदक स्वयं अथवा आवेदक की पत्नी/पति निवार्चित जनप्रतिनिधि नहीं होना चाहिये ।
7. उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदन करने वाले पुरूष/महिला के दिनांक 01.01.2015 के बाद पैदा हुई संतान सहित दो से अधिक संतान नहीं होनी चाहियें। दिनांक 01.01.2015 के पश्चात् दो से अधिक संतान होने की स्थिति में आवेदन का पात्र नहीं होगा।
8. आवेदन पत्र केवल जिला रसद कार्यालय में कार्यालय समय में 100 रु. का भारतीय पोस्टल आर्डर जमा कराकर प्राप्त किये जा सकेंगे। आवेदन-पत्र के सभी कॉलम पूर्ण रुप से भरे जाकर आवेदक द्वारा निर्धारित दस्तावेजों के साथ स्वप्रमाणित कर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। अपूर्ण/अधूरे/अस्पष्ट आवेदन निरस्त कर दिये जायेंगे।
9. प्रस्तावित दुकान का नक्शा साईट प्लान रूट प्लान के साथ सही माप में दर्शा कर तीन प्रति में स्वप्रमाणित करके प्रस्तुत किया जावेगा। नक्शे में प्रस्तावित दुकान के आगे पिछे व दाये-बाये स्थित भवनों/स्थानों/भूमि/सडक का स्पष्ट विवरण दिशा ज्ञान के साथ अंकित किया जाना है। प्रस्तावित दुकान किराया की होने पर अनुबन्ध की प्रति/स्वयं की होने की पट्टे की प्रति स्वप्रमाणित कर संलग्न की जावें। दुकान केन्द्र स्थल पर स्थित हो ताकि उपभोक्ता आसानी से पहूच सकें। प्रस्तावित दुकान सुरक्षा एवं यातायात के साधन के दृष्टिकोण से उचित स्थान पर होनी चाहिये। आवेदर को प्रस्तावित दुकान के संबंध में अन्नपूर्णा भण्डार हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने होगें जिस हेतु प्रस्तावित दुकान 30 फिट सडक पर स्थित होकर न्यूनतम 200 वर्ग फिट का होना तथा दुकान का द्वार/शटर न्यूनतम 10 फिट का होना आवश्यक है।
10. आवेदक को अन्नपूर्णा भण्डार हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने होंगे। यदि आवेदक पहले से ही अन्नपूर्णा भण्डार के मापदण्ड पूर्ण करता हो तो उसकी पुष्टि में दुकान का नक्शा-स्वामित्व-किरायानामा आदि से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। जो आवेदक आवेदन के समय अन्नपूर्णा भण्डार के मापदण्डो को पूर्ण नही करते है, उन्हे छः माह में मापदण्ड पूर्ण किये जाने का घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा। विशेष परिस्थितियों में मापदण्ड पूर्णता अवधि राज्य सरकार/जिला कलक्टर द्वारा छः माह बढाई जा सकेगी। यदि घोषणा-पत्र के अनुसार प्राधिकृत होने पर मापदण्ड पूर्ण नही किये जाते है, तो प्राधिकार-पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

11. संबंधित तहसीलदार द्वारा आवेदक के संबंध में जारी न्यूनतम 1,00,000/– रुपये का मूल (हैसियत का प्रमाण पत्र 6 माह से अधिक पुराना होने पर मान्य नहीं होगा) महिला स्वयं सहायता समूह के लिये कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता की अभिशंषा सहित समूह की वित्तीय हैसियत न्यूनतम 25,000/– रुपये होना आवश्यक है।
12. आवेदक द्वारा दी गई सूचनाएं गलत पाये जाने पर आवंटन रद्द करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा।
13. आवेदक द्वारा निम्न बिन्दुओं को अंकित करते हुए एक घोषणा पत्र दिया जावेगा–
    - आवेदक पूर्व में ई.सी. एक्ट के तहत दण्डित नही हुआ है।
    - आवेदक द्वारा दुकान का दुकान का संचालन स्वयं के द्वारा किया जावेगा।
    - आवेदक के परिवार में किसी सदस्य यथा, माता, पिता, पुत्र, पुत्री के नाम से पूर्व में कोई दुकान नही है।
    - आवेदक को विधिक रुप से अयोग्य घोषित नही किया गया है।
    - आवेदक स्वयं जनप्रतिनिधि नहीं है।
    - आवेदक बालिग एवं स्वस्थ चित्त है, चाल चलन अच्छा है तथा कभी दिवालिया घोषित नही हुआ है।
    - आवेदक द्वारा दिनांक 01.01.2015 के बाद दो से अधिक संतान नही होने का स्पष्ट कथन किया जायेगा।
14. उचित मूल्य दुकान प्राधिकार पत्रधारी जिनके विरूद्ध गंभीर अनियमिततायें पाये जाने पर गत वर्षो में प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया हो तो ऐसे आवेदक को उचित मूल्य दुकान आवंटित नहीं की जावेगी।
15. आवेदन पत्रो की वरियता/प्राथमिकता निम्नानुसार रहेगी –

<u>प्रथम वरियता</u> (1) ग्राम सेवा सहकारी समिति/लेम्पस (वृहत्तर क्षेत्रिय बहुद्देशीय सहकारी समिति)/दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति जो कि सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है, (II) महिला स्वयं सहायता जो राज्य सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग से चयनित अथवा मान्यता प्राप्त है तथा न्यूनतम 3 वर्ष कार्य अनुभव हो। समूह का कम से कम 3 वर्ष पूर्व का बैंक में खाता खुला हो। समूह का गठन कम से कम 03 वर्ष पूर्व का हुआ हो। समूह के सदस्य 3 वर्ष से आन्तरिक लेन–देन में संलग्न हो।

(III) ग्राम पंचायत/निगमित निकाय

नोट–आवेदक/समितियों/समूह/निकाय में सचिव/प्रबंधक का कम्प्यूटर दक्ष एवं शैक्षणिक योग्यताओं को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। इस बाबत् प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

विशेष–यदि विज्ञापन जारी किये जाने के पश्चात उक्त श्रेणी (क) के अन्तर्गत एक ही आवेदन–पत्र प्राप्त होता है, उसको प्राधिकार–पत्र जारी किया जावेगा। उक्त श्रेणी के आवेदन प्राप्त नही होने पर निम्न अंकित आवेदको के आवे

- यदि आवेदक महिला स्वयं सहयता समूह है तो आवेदन पत्र के साथ संस्था का विधान पत्र ताकि आवेदक के नाम आवेदन करने जारी हेतु प्रस्ताव पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी। उपनिदेशक/सहायक निदेशक, महिला बाल विकास से चयनित अथवा मान्यता प्राप्त होने का प्रमाण पत्र मय तीन संपरीक्षा (ऑडिट रिपोर्ट) में गंभीर अनियमितता नहीं होने का प्रमाण पत्र तथा समूह की वित्तीय हैसियत के संबंध में उनकी अंशपूंजी विवरण कार्यशील पूंजी विवरण तथा वार्षिक कुल राशि का विवरण एवं विगत दो वित्तीय वर्ष व चालू वर्ष के बैंक खाते का स्टेटमेन्ट की प्रति मय उप निदेशक/सहायक निदेशक की अभिशंसा संलग्न करनी होगी।
- यदि आवेदक सहकारी समितियां है जो कि सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हो तो आवेदन पत्र के साथ संस्था का विधान पत्र तथा आवेदक के नाम आवेदन करने हेतु जारी प्रस्ताव पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी। सहायक पंजीयक/उप पंजीयक से मान्यता प्राप्त होने का प्रमाण पत्र मय तीन संपरीक्षा (ऑडिट रिपोर्ट) में गंभीर अनियमितता नहीं होने का प्रमाण–पत्र तथा समूह की वित्तीय हैसियत के संबंध में अंशपूंजी विवरण कार्यशील पूंजी विवरण तथा वार्षिक कुल राशि का विवरण एवं विगत दो वित्तीय वर्ष व चालू वर्ष के बैंक खाते का स्टेटमेन्ट की प्रति सहायक पंजीयक/उपपंजीयक की अभिशंसा करनी होगी।

<u>द्वितीय वरीयता व्यक्तिगत</u> (प्रथम वरीयता में आवेदन उपलब्ध नहीं होने पर) (1) निःशक्त जन (2) महिलाये (i) शहिद की विधवा, (वीरांगना) (ii) विधवा (iii) परित्यक्ता (3) भूतपूर्व सैनिक (4) अन्य पात्र बेरोजगार

- निःशक्तजन को स्वास्थ्य विभाग का प्रमाण पत्र या समाज कल्याण विभाग का प्रमाण पत्र, वीरांगना को सेना द्वारा जारी प्रमाण पत्र, विधवा व परिक्यक्ता का संबंधित विभाग का प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक को सेना से डिस्चार्ज होने का प्रमाण पत्र तथा बेरोजगार को एम्प्लोयमेंट एक्सचेंज का पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी।

16. द्वितीय वरीयता के अन्तर्गत चयनित उचित मूल्य दुकानदार की कार्य करने की अधिकतम 60 वर्ष की आयु तक होगी।
17. सभी आवेदकों को दो राजपत्रित अधिकारियों के चरित्र प्रमाण–पत्र आवेदन के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करने है।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर (रसद)
झालावाड़

क्रमांक/रसद/एफपीएस/2018/1522-1633 दिनांक : .04.2018

प्रतिलिपि–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. श्रीमान् अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. श्रीमान् उपायुक्त एवं उप शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
4. ए.सी.पी. खाद्य विभाग, जयपुर उक्त विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाईट food.rajasthan.gov.in पर अपलोड करवाने बाबत् ।
5. ए.सी.पी. सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, झालावाड को जिला कलक्टर की अधिकृत वेबसाईट jhalawar.rajasthan.gov.in पर अपलोड करवाने बाबत्
6. माननीय सांसद महोदय, झालावाड–बारां
7. श्रीमान् नरेन्द्र नागर, माननीय संसदीय सचिव महोदय राजस्थान सरकार जयपुर
8. माननीय विधायक महोदय, विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना/डग
9. समस्त उपखण्ड अधिकारी.......................को उनके कार्यालय में चस्पा करने हेतु
10. समस्त तहसीलदार .... को उनके कार्यालय में चस्पा करने हेतु
11. सम्बन्धित ग्राम पंचायत के सरपंच........................ को उनके कार्यालय में चस्पा करने हेतु मार्फत BDO
12. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, झालावाड को आवश्यक प्रचार प्रसार बाबत् ।
13. प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक समस्त ....झालावाड
14. प्रबन्धक खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम लि. झालावाड
15. अन्य आयुक्त न.प. झालावाड/E.O. न.पा. [illegible]
16. रक्षित पत्रावली

(श्रीमती प्रतिभा देवठिया)
जिला रसद अधिकारी
झालावाड़

--f9.jpeg